वित्तीय स्वीकृति-2017-18

संख्या-4/2017/414/52-2-17-2(6)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन

एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु अनुमानित -व्ययक धनराशि रू0 9,68,52,,000/- के प्रथम पाच माहो के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष धनराशि रू0 3,84,17,500/-की वित्तीय स्वीकृति।

□□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे वित्त (आय-व्ययक) □□□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संर -3/2017/□□-1-348/□□-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित आय-व्ययक धनराशि रू0 9,68,52,000/- (रूपये नौ करोड अड़सठ लाख बावन हजार मात्र) के प्रथम पाँच माहों के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष 5/12वां भाग की धनराशि रू0 3,84,17,500/-(रू0 □□□ करोड़ चैरासी लाख सत्तरह हजार पाँच सौ म) निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

आयोजनेत्तर- (रू0 हजार में)

क्रमांक	□□□□ □□ □□ □□□	वित्तीय वर्ष 2017- 18 में □□□□□□	वित्तीय वर्ष 2017-18 में □□□□□□ □□-व्ययक का 5/12 वां भाग की वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		□□-व्ययक □□□□□	स्वीकृति
1	2	3	4
1-	01-□□□	77100	77100
2-	02-मजदूरी	300	300
3-	03-मंहगाई भत्ता	3855	3855
4-	04-यात्रा04-यात्रा व्यय	500	500
5-	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200	200
6-	06-अन्य भत्ते	3200	3200
7-	07-□□□□□	5200	5200
8-	08-कार्यालय व्यय	200	200
9-	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200	200
10-	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	110	110
11-	13-टेलीफोन पर ब्यय	50	50
12-	14-मोटर गाडियों का क्रय	---	---
13-	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	300
14-	16-व्यवसायिक तथा विशेष □□□□□□□□□□□□□□□□	100	100
15-	18-प्रकाशन	5	5
16-	42- अन्य व्यय	30	30
17-	45-अवकाश यात्रा व्यय	100	100
18-	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्वेयर का क्रय	100	100
19-	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100	100
20-	49- चिकित्सा व्यय	550	550
21-	51- वर्दी व्यय	2	2
22-	52-पुनरीक्षित वेतन का □□□□□ (राजकीय)	4650	---
	□□-	96852	38417.5

रू0 3,84,17,500/-(रू0 तीन करोड़ चैरासी लाख सत्तरह हजार पाच सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-(1) ब्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) कृपया सुनिश्चित किया जाय कि घनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीेकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(4) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0ए□0-13 पर लेखा शीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-"2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमो का प्रकाशन-03-अधिष्ठान की सुसंगत इकाईयो कें नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्य-1/2017/□□-1-02/□□- 2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्य -3/2017/□□-1-348/□□- 2017-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

231/2017 दिनांक 20.03.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□□□□ □□0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं ्दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि◌षतः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0, □□□□□
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, □□□□□
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाह□ □□□, □□□□□
6- वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□□-11
8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□0 अरविन्द कुमार चैरसिया)
विशेष स□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in